SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE PROCEDUR CODE, 1898 In the court of जिला शर्म जे.एम.एफ.सी गोहद मिण्ड /2017 गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.) Name and address of the complain मं०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना. प्रशासन भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused कांश्व हर्मामादमः अप्रकार्यहर Oran Amark Exception of Friends The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक के कि की की स्थान में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। The plea of the accused and bis examination [if any] Alec, form How (H.R.) आरोपी का अभिवाक-318/10/2

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक ७-१४-) को घोषित किया गया)

अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक-अपराध किया जाना स्वीकार किया।

2. अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये रेक रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को...................दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

रथान-भिण्ड

दिनांक- 6. 12. 157

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

गोंडव, जिला भिण्ड (म.प्र.)